न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : जितेन्द्र ओझा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **204/15 (वाद)**

1. श्री पेमा पिता हिरा डांगी निवासी खरवडों का गुडा तह. मावली।

.....वादी

बनाम्

1. श्रीमती हरकुबाई पुत्री मेघा पत्नी चुन्नीलाल डांगी निवासी खरवडों का गुडा हाल घासा तह. मावली।
2. श्री रामा पिता उदा डांगी निवासी खरवडों का गुडा तह. मावली।
3. श्रीमती बाबुडी पत्नी दोला डांगी निवासी सोल तलाई, खरवडों का गुडा तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री हिरालाल बुनकर, अधिवक्ता वादी।

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 31.10.2017

1. वाद वादी अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है– मौजा खरवडों का गुडा पटवार हल्का मांगथला तह. मावली जिला उदयपुर में स्थित आराजी नम्बर 485 रकबा 4 बिस्वा लगानी 1.05 रूपया स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1/8 हिस्सें से, प्रतिवादी सं. 2 के नाम 1/2 हिस्से से एवं प्रतिवादी सं. 3 के नाम 3/8 हिस्से सें अंकित हैं। ताईद में नकल जमाबन्दी प्रस्तुत हैं।
2. उक्त कलम नम्बर 1 में वर्णित पहले मेगा, रामा पिता उदा डांगी के खातेदारी हक अधिकार एवं आधिपत्य की थी। मेघा एवं रामा पुत्र उदा डांगी को अपने पारिवारिक कर्जे की अदायगी करने के लिए रूपयों की आवश्यकता होने से उक्त कलम नम्बर 1 में वर्णित आराजी नम्बर 485 रकबा 4 बिस्वा सम्पूर्ण वादी को 400/– चार सौ रूपया के प्रतिफल में दिनांक 04.01.1982 को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया तब से उक्त भूमि पर क्रय की दिनांक से ही वादी का कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा हैं।

3. उक्त कलम नम्बर 1 में वर्णित भूमि में विक्रेता मेघा, रामा पुत्र उदा का अथवा उनके वारिसान का किसी प्रकार का कोई हक अधिकार एवं आधिपत्य नहीं हैं।
4. वादग्रस्त भूमि के विक्रेता मेघा, रामा पुत्र उदा डांगी के खानदान का सजरा इस प्रकार हैं।

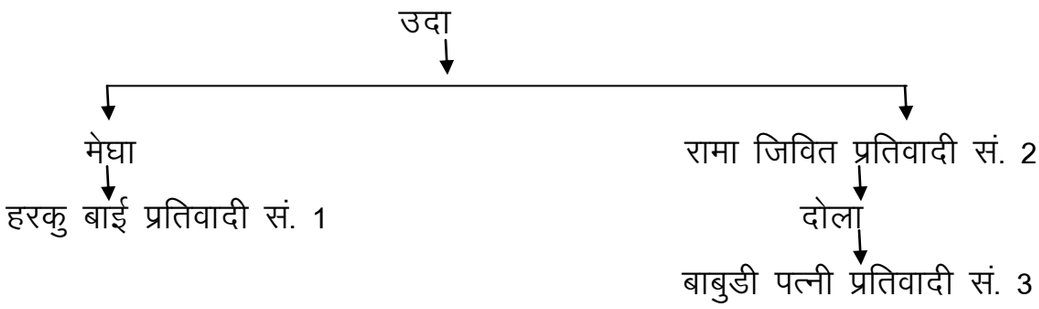

उक्त सजरे के अनुसार विक्रेता मेघा के एक पुत्री हरकुबाई प्रतिवादी सं. 1 हैं। विक्रेता रामा प्रतिवादी सं. 2 हैं। बाबुडी प्रतिवादी सं. 2 रामा के पुत्र दोला की पत्नी हैं।

5. वादग्रस्त भूमि का वादी ने असल विक्रय पत्र पंजीयन कराने के बाद तत्कालीन पटवारी हल्का मांगथला को नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु दिया था जिस पर पटवारी हल्का ने वादी को यह बताया कि जमीन तुम्हारे नाम कर दी इसके बाद वादी ने पटवारी हल्का से खाते की नकल नहीं ली और पटवारी की कही बात पर विश्वास कर लिया। वादी अनपढ होने से पटवारी की बात पर विश्वास कर खाते की नकल लेने कभी नहीं गया और अभी दिनांक 13.07.15 को पटवारी हल्का से खाते की नकल लेने गया और पटवारी ने नकल दी तो जानकारी में आया कि वादी की वादग्रस्त क्रयसुदा भूमि वादी के नाम दर्ज नहीं होकर प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 के नाम अंकित हैं। इस पर वादी ने राजस्व रेकार्ड की नकले ली तो जानकारी में आया कि विक्रेता मेघा की विरासत का खाता प्रतिवादी सं. 1 ने अपने नाम गलत रूप से खुलवा लिया और इस आराजी का 3/8 हिस्से का विक्रय पत्र प्रतिवादी सं. 3 के नाम करा दिया जब कि यह विक्रय पत्र मुझ वादी के मुकाबले अवैध होकर शुन्य प्रभावी है क्योंकि प्रतिवादी सं. 1 ने अपने पिता मेघा द्वारा विक्रय की हुई भूमि को यह जानते हुए कि यह भूमि वादी पेमा को विक्रय कर रखी है और वादी क्रेता का कब्जा है और इस भूमि पर उसका कब्जा भी नहीं हैं फिर भी प्रतिवादी सं. 2 को विक्रय कर वादी के साथ धोखा किया है। वादी ने प्रतिवादीगण से वादग्रस्त क्रयसुदा भूमि अपने नाम अंकित कराने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण ने वादी को कानूनी कार्यवाही कराने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण ने वादी को कानूनी कार्यवाही कराने के

लिए कहा जिससे वादी को विवश होकर यह घोषणा का वाद पेश करने पर विवश होना पडा हैं। अतः निवेदन है कि वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व निम्न आशय की डिक्री प्रदान करायी जावें कि कलम नम्बर 1 में वर्णित मौजा खरवडों का गुडा पटवार हल्का मांगथला तह. मावली की आराजी नम्बर 485 रकबा 4 बिस्वा भूमि का वादी को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें एवं तद्नुसार राजस्व रेकर्ड में अंकन कराया जावें। प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जावें। वाद व्यय एवं अन्य अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे दिलाया जावें।

6. अधिवक्ता वादी द्वारा वाद के समर्थन में दस्तावेज जमाबन्दी नकल प्रदर्श 1, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रदर्श 2, मतदाता पहचान पत्र प्रदर्श 3 पेश किया।
7. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादी सं. 1 से 3 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गयें।
8. वादी द्वारा वाद के समर्थन में गवाह साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्री पेमा का पेश किया गया।
9. प्रकरण में अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। वाद वर्णित भूमि वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 से 3 के नाम दर्ज हैं। वादी द्वारा उक्त भूमि पूर्व खातेदार मेघा, रामा पिता उदा डांगी के नाम दर्ज होने से वर्णित आराजी नम्बर 485 रकबा 4 बिस्वा भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर दिनांक 04.01.1982 को क्रय कर कब्जा प्राप्त करना बताया जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दस्तावेज प्रदर्श 2 से साबित होता हैं। वादी द्वारा भूमि क्रय करने से क्रय दिनांक से लगातार निर्बाध रूप से मौके पर क्रय सुदा भूमि पर काश्त करना बताया हैं। तत्कालीन खातेदार की मृत्यु हो जाने से विरासत से भूमि प्रतिवादी सं. 1 से 3 के नाम दर्ज हो गई हैं। जिसे पुनः वादी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर अपने नाम कराने के अधिकारी हैं। प्रतिवादी सं. 1 से 3 वादी के वाद के खण्डन हेतु न्यायालय में उपस्थित नहीं रहे है जिससे भी वादी के वाद को बल मिलता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय का स्वीकार किया जाता है कि मौजा खरवडों का गुडा पटवार हल्का मांगथला की आराजी नम्बर 485 रकबा 4 बिस्वा भूमि को प्रतिवादी सं. 1 से 3 के बजाय रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04.01.1982 के आधार पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हों। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले न्यायालय लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(जितेन्द्र ओझा)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

मूल वाद में डिक्री

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली
बईजलास जितेन्द्र ओझा, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री पेमा पिता हिरा डांगी निवासी खरवडों का गुडा तह. मावली।

.....वादी

बनाम्

1. श्रीमती हरकुबाई पुत्री मेघा पत्नी चुन्नीलाल डांगी निवासी खरवडों का गुडा हाल घासा तह. मावली।
2. श्री रामा पिता उदा डांगी निवासी खरवडों का गुडा तह. मावली।
3. श्रीमती बाबुडी पत्नी दोला डांगी निवासी सोल तलाई, खरवडों का गुडा तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा न0 : 204/15 (वाद)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु जितेन्द्र ओझा R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है किः–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय का स्वीकार किया जाता है कि मौजा खरवडों का गुडा पटवार हल्का मांगथला की आराजी नम्बर 485 रकबा 4 बिस्वा भूमि को प्रतिवादी सं. 1 से 3 के बजाय रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04.01.1982 के आधार पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 31.10.2017 को जारी की गई।

(जितेन्द्र ओझा)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली